उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या- 9/2021/ई-115/एक-1-2021-रा0-1

लखनऊ: दिनांक: 24 मार्च, 2021

अधिसूचना

चूँकि जिला मथुरा के तहसील-गोवर्धन के राजस्व ग्राम महमूदपुर का नाम परिवर्तित करके परासौली (जिसे आगे उक्त राजस्व ग्राम कहा गया है) किये जाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा के पत्र संख्या-1253/सात-बी/भूलेख/2018, दिनांक 12 फरवरी, 2019 द्वारा प्रस्तावित किया गया है और आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद के पत्र संख्या-जी-308/9-28/2018, दिनांक 15-09-2020 द्वारा संस्तुत किया गया है। भूमि प्रबंधक समिति ने भी उक्त राजस्व ग्राम का पुनर्नामकरण किये जाने का प्रस्ताव पारित किया है।

2. और चूँकि भारत सरकार ने अपने पत्र संख्या-11/13/2020-एम0 एण्ड जी0, दिनांक-11-02-2021 द्वारा उक्त राजस्व ग्राम का नाम परिवर्तन किये जाने के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया है।

3. अतएव, अब, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2006) की धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-130/53-पब्लिक, दिनांक-11-09-1953 और पत्र संख्या-11/13/2020-एम0 एण्ड जी0, दिनांक-11-02-2021 के निदेश के अनुसरण में, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से नीचे अनुसूची में यथा उल्लिखित उक्त राजस्व ग्राम ''महमूदपुर'' का नाम परिवर्तन करती हैं।

4. राज्यपाल अग्रतर यह निदेश देती हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात का प्रभाव, किसी न्यायालय, जो उक्त राजस्व ग्राम के संबंध में अब तक अधिकारिता का प्रयोग करता रहा हो, में पहले ही प्रारम्भ की गयी या लंबित किसी विधिक कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

राजस्व ग्राम का वर्तमान नाम	राजस्व ग्राम का परिवर्तित नाम
महमूदपुर	परासौली

आज्ञा से,

रेणुका कुमार

अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Uttar Pradesh Shasan
Rajaswa Anubhag-1

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.9/2021/E-115/I-1-2021-R-1 dated 24 March, 2021 for general information.

Notification

No. 9/2021/E-115 /I-1-2021-R-1
Lucknow: Dated 24 March, 2021

Whereas it has been proposed by District Magistrate, Mathura letter no. 1253/Sat-B/bhulekh/2018, dated 12-02-2019 and recommended by Commissioner and Secretary of Board of Revenue letter no. G-308/9-28/2018, dated 15-09-2020 to change the name of revenue village Mahmoodpur to Parasouli of Tehsil Govardhan, District Mathura (hereinafter referred to the said revenue village). The Land Management Committee has also passed the proposal to rename the said revenue village.

2. And Whereas the Government of India has given the No Objection Certificate in respect of the changing the name of the said revenue village in their letter no. 11/13/2020-M&G, dated 11-02-2021.

3. Now, therefore, in exercise of the powers under sub-section (2) of section 6 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (U.P. Act no.8 of 2006) and in pursuance of the direction of Home Ministry of Government of India letter no. 130/53-public, dated 11-09-1953 and no. 11/13/2020-M&G, dated 11-02-2021, the Governor is pleased to change the name of the said revenue village "Mahmoodpur" with effect from the date of publication of this notification in the Gazette as mentioned in the Schedule below.

4. The Governor is further pleased to direct that nothing in this notification shall effect any legal proceeding already commenced or pending in any court of law which has hitherto exercised jurisdiction in respect of the said revenue village.

SCHEDULE

Present name of the revenue village	Changed name of the revenue village
MAHMOODPUR	PARASOULI

By order,
Renuka Kumar
Apar Mukhya Sachiv

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।